FORM NO. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर,(राज0)

टोंक (राज0)

अपील संख्या 67/2023 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान– कमली बनाम अशोक वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	विशेष विवरण
18.09.2023	पत्रावली पेश हुई। सरिश्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलांट अभिभाषक को एकपक्षीय सुना गया। हमने अपीलांट अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं अपील के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील अपीलांट द्वारा उठायी गयी मुख्य आपत्ति की रेस्पो0 द्वारा हम अपीलांट को पाबन्द अनुतोष ही नहीं चाहा फिर भी तहत न्यायालय ने बिना आधार अपीलांट को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। इसकी ताहिद में मूल वाद की प्रति प्रेष की जिसमें रेस्पो0 द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलांट न होकर रेस्पो0 संख्या 9 से 12 को पाबन्द करवाया जाना अंकित है। इसके अतिरिक्त तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2023 को जारी कर आगामी सुनवाई दिनांक 10.10.2023 नियत किया जाना पत्रावली पर नियत है। जो आदेश 39 नियम 3ए के प्रावधानो विपरित है, चुकि इस प्रावधान के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिवस में किया जाना आवश्यक होता है तथा 30 दिवस में निस्तारण नहीं किये जाने पर कारण अंकित किया जाना आवश्यक है। तहत न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण किया ना ही अब तक निस्तारण किये जाने का कारण अंकित किया है, जो स्पष्ट रूप से विधि अनुरूप नहीं है। अतः तहत न्यायालय उपखण्ड जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर का अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 04.07.2023 का प्रचलन व प्रभाव स्थगित किया जाता है। प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विधिक प्रावधानों अनुसार 30 दिवस में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र का निस्तारण करना सुनिश्चित करे। अपीलांट तहत न्यायालय में आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 27.09.2023 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार हो। 30/- 18/9/2023 राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर उम्मेदीलाल मीना (आर.ए.एस) राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर।	

Scanned with CamScanner